मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 3 जुलाई, 2014 (12 आषाढ़, शक सम्वत् 1936)
विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 33 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

स्थगन प्रस्ताव (पूर्वानुबद्ध)
व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयन परीक्षाओं में अनियमितता की जाना

प्रदेश के कई जिलों में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा विभिन्न चयन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर, श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा कल दिनांक 2 जुलाई, 2014 को प्रारम्भ अपने वक्तव्य के क्रम में, चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया गया.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 58 (1) तथा संसदीय पद्धति एवं व्यवहार, कौल एवं शकधर के पृष्ठ 620 का उल्लेख करते हुए स्थगन प्रस्ताव को अगली बैठक तक स्थगित करने पर आपत्ति व्यक्त की गई.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि इस संबंध में सदन के पास चर्चा कराने संबंधी शक्ति है. इसके पूर्व भी दिनांक 4 दिसम्बर, 1995 को शिवपुरी जिले की उप जेल में कैदियों के मध्य संघर्ष एवं 6 दिसम्बर, 1997 को बस्तर के रायगढ़ संबंधी स्थगन प्रस्तावों पर आगामी कार्य दिवस में चर्चा हुई है. इसी प्रकार से दिनांक 19 जून,1986 को विभा मिश्रा कांड संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर तीन दिन तक चर्चा हुई हैं.

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री तथा कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री द्वारा भी नियम परम्पराओं के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर दो दिन चर्चा चलने को विधि सम्मत मानते हुए मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य शांतिपूर्वक सुनने हेतु अनुरोध किया गया.

इण्डियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यगण नारे लिखे कपड़े (एप्रिन) पहनकर, गर्भगृह में आए तथा नारेबाजी की. अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें अपने-अपने स्थान पर जाने के लिए निर्देश दिये गये किन्तु वे नारेबाजी करते रहे. सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण 11.05 बजे कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.20 बजे पुन:समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही को बाधित न करने तथा शासन का वक्तव्य सुनने का अनुरोध किया गया. किन्तु, गर्भगृह से तालियां बजाने एवं नारेबाजी होने के कारण कार्यवाही में पुन: व्यवधान उत्पन्न हुआ तथा 11.35 बजे 5 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की जाकर 11.52 बजे पुन:समवेत की गई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उनके भाषण के दौरान कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान उत्पन्न करने पर आपत्ति व्यक्त की गई. गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही मध्यान्ह 12.02 बजे 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

(अपराह्न 12.02 से 2.34 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा भाषण देना प्रारम्भ किया गया. कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा पुन: गर्भगृह में आसंदी की ओर बढ़कर नारेबाजी करने पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण से सदन की मर्यादा बनाये रखकर, कार्यवाही चलने देने हेतु पुन: अनुरोध किया गया.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके लिखित वक्तव्य को सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की गई.

अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल के कारण, अपरान्ह 2.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई, 2014, (13 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 3 जुलाई, 2014